

26-11-25

पत्रावली पेश हुई वकील श्री उषा उषा पुष्पा  
पत्रावली दिनांक 19-12-25 को पेश हो।

५

19-12-25

पत्रावली पेश हुई वकील श्री उषा उषा पुष्पा सं. 1 पत्रा.  
4 की ओर से श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा वकालतनाम  
पेश किया। उन्होंने दैने से इंकार किया। अतः जवाबबन्द  
किया जाता है। वहस पर उभयपक्ष को सुन गाना। वहस  
पर मजबूत किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी  
रिकॉर्ड का गलीगोली अवलोकन किया गया, रोपामा कि  
भूमिका कोई भी संशय वाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है।  
अतः सहकारित्वारा का प्रत्येक ईच पर कब्जा माना  
जाता वाजिब है।

यूनि फसकारी सहकारिता है तथा उनके हकों का  
विचारण दायें में विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् एवं  
गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। वर तक अन्य सहकारि-  
कारण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर उचित  
नहीं पाए है। तथा ज. पत्र को स्वीकार किया जाता उचित नहीं  
पाए है। अतः ज. पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा न्यायस्थ  
द्वारा कार्य जारी शुरू अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.07.25  
को निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो,  
तथा संलग्न रूप वाद हो।

उपखण्ड अधिकारी  
भुसावर (भरतपुर) राज०।